क्रम-संख्या-69(ग–1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 13 मई, 2020
बैशाख 23, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग–2

संख्या 469/ग्यारह–2–20–9(46)-20-उ0प्र0अधि0-5–2008-आदेश(120)-2020

लखनऊ, 13 मई, 2020

अधिसूचना

प0आ0–126

चूंकि राज्य सरकार की यह राय है कि राज्य में कर निर्धारण वर्ष 2019–20 में कोविड–19 के कारण असामान्य परिस्थितियाँ व्याप्त हैं, इसलिए धारा 29 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन आने वाली समस्त श्रेणियों के कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण संबंधी कार्यवाहियों, जिनका, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008) के अधीन निस्तारण किये जाने का अन्तिम दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त हो गया हैं, को पूरा करना कठिन होगा;

अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (11) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 403/ग्यारह–2–9(18)-2012-उ0प्र0अधि0-5–2008-आदेश(98)-2020 दिनांक 27 मार्च, 2020 को अधिक्रमित करती हैं और धारा 29 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन आने वाली समस्त श्रेणियों के कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण संबंधी कार्यवाहियों, जिनका उत्तर प्रदेश मूल्य संवद्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008) के अधीन निस्तारण किये जाने का अन्तिम दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त हो गया हैं, के लिये दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 तक समय सीमा में वृद्धि करती हैं।

2. यह अधिसूचना तारीख 27 मार्च, 2020 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 469/XI-2-20-9(46)-20-U.P.Act-5-2008-Order(120)-2020, dated May 13, 2020 for general information :

No. 469/XI-2-20-9(46)-20-U.P.Act-5-2008-Order(120)-2020

Dated Lucknow, May 13, 2020

WHEREAS the State Government is of the opinion that unusual circumstances due COVID-19 are prevailing in the State; in the assessment year 2019-20 it would be difficult to complete all the categories of assessment or re-assessment proceedings falling under the various sub-sections of section 29 whose last date of disposal under the Uttar Pradesh value added tax act, 2008 (Uttar Pradesh Act no. 5, of 2008) has expired on 31 March, 2020;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (11) of section 29 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to supersede the notification no. 403/XI-2-9(18)-2012-U.P.Act-5-2008-Order(98)-2020, dated March 27, 2020 issued earlier in this regard and to extend the time limit upto 31st October, 2020 for all categories of assessment or re-assessment proceedings falling under the various sub-sections of section 29 whose last date of disposal under the Uttar Pradesh value added tax act, 2008 (Uttar Pradesh Act no. 5 of 2008) has expired on March 31, 2020;

2. This notification shall be deemed to have come in to force with effect from the March 27, 2020.

By order,
ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 78 राजपत्र–2020–(154)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 24 सा० राज्य कर–2020–(155)–3500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।
78 rph rajya kar-2020-data-7 e-gst part-2